राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः–प.27(16)न्याय/1993 जयपुर, दिनांक : 19 FEB 2024

–:आदेश:–

माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के अनुमोदन पश्चात् विभागीय स्थाई आदेश जारी किया जाता है, तथा निर्देशित किया जाता है कि:–

1. विभाग के नीति निर्धारण सम्बन्धी समस्त प्रकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के माध्यम से माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. उपरोक्त अधिकारीयों के अन्तर्गत जिन सम्बन्धित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है उनके द्वारा सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी तथा जिन मामलों में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, से सन्दर्भित राय लेनी हो तो वह प्राप्त की जावेगी।
3. लेखाधिकारी से जहॉ आवश्यक हो वित्तीय मामलों में राय ली जायेगी।
4. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व जयपुर व अन्य से सम्बन्धित प्रत्येक वित्तीय प्रकरण को वित्त विभाग की राय ली जायेगी।
5. कार्य निपटाये जाने वाले अधिकारी जहॉ आवश्यक समझे वित्तीय निर्णय के बारे में अपने उच्चाधिकारी को विशेष कारण सहित स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।
6. साधारण मामले मंत्री महोदय, द्वारा ही स्थाई आदेशों के अन्तर्गत निपटायें जातेगें, परन्तु मंत्री महोदय के मुख्यालय से बाहर होने पर यदि प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, यह आवश्यक समझे कि मंत्री महोदय के आने की प्रतिक्षा करना प्रकरण के महत्व के लिए सम्भव नहीं हो तो प्रमुख शासन सचिव, द्वारा ऐसे मामले निपटायें जो सकते है, परन्तु बाद में उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगें।
7. स्थाई आदेश के अन्तर्गत प्रमुख शासन सचिव द्वारा निपटाये जाने वाले प्रकरणों में प्रमुख शासन सचिव की अनुपस्थिति में यदि शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ आवश्यक समझे तो प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव द्वारा ऐसे मामलों को निपटाया जा सकता है परन्तु ऐसे प्रकरण शासन सचिव के उपस्थित होते ही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
8. संलग्नक स्थाई आदेश में जो प्रकरण/मुद्दे सम्मलित नहीं है, उन्हे प्रमुख शासन सचिव के माध्यम से प्रभारी मंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त विशिष्ट शासन सचिव, विधि (सभी अनुभाग) शासन सचिवालय, जयपुर।
8. ~~उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/कार्मिक विभाग/प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–6)~~ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
निजी सचिव, शासन सचिव, विधि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
निजी सचिव, समस्त विशिष्ट शासन सचिव, विधि (सभी अनुभाग) शासन सचिवालय, जयपुर।
उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय/कार्मिक विभाग/प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

::स्थाई आदेश::

क्रमांकः– प० 27(16) न्याय/1993

जयपुर, दिनांक 9-2-24

राजस्थान कार्य विधि नियम के नियम 21 व 22 के अन्तर्गत व अनुसरण में इस विभाग के समस्त पूर्व आदेशों को अतिष्ठित करते हुए एततद्वारा निर्देश देता हूं कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग व विधायी प्रारूपण तथा विधि परामर्शी कार्यालय में मामलों व कार्य का निपटारा नीचे परिशिष्ठ (क) में अंकितानुसार तत्काल प्रभाव से किया जावेगा।

(जोगाराम पटेल)
विधि मंत्री

परिशिष्ठ–क

क्र.स.	कार्य व मामलों का विवरण	जिसके द्वारा परीक्षण किया जाएगा	किस स्तर पर निपटारा होगा					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	सलाह एवं परामर्श	विशिष्ठ शासन सचिवगण एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव (विधि परामर्शी)	विधि मंत्री				
		टिप्पणी:– 1. सलाह एवं परामर्श संबंधी महत्वपूर्ण मामले संबंधित विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि परामर्शी के समक्ष पेश करेगें। अंतिम निपटारा मंत्री स्तर से किया जा सकेगा। 2. विधि परामर्शी एवं प्रमुख शासन सचिव, विधि सलाह व परामर्श संबंधी कार्य का आवंटन, विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी में विभागवार कर सकेगें। 3. विधि परामर्शी कोई विशेष प्रकरण किसी मी विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी को परामर्श हेतु सुपुर्द कर सकेंगे।					
2.	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही	1. विशिष्ठ शासन सचिव, (वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी 2. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी टिप्पणी:– पुनः जांच विषय विशिष्ठ शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी विधायी प्रारूपण/ विशिष्ठ शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी करेंगे। वर्तमान में लंबित जांच संबंधित विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी करेंगे। जांच सौंपने से पूर्व प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, प्रमुख शासन सचिव, विधि का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।						
3.	विधियों एवं नियमों का संहिताकरण और अधिकारिक रूप से रख रखाव व प्रशासनिक	वरिष्ठ विधि रचनाकार	उप शासन सचिव, (संहिताकरण)	विशिष्ठ शासन सचिव (विधायी प्रारूपण)एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि			

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

	मामले							
4.	विधि रचना संगठन द्वारा विधियों के अधिकृत हिन्दी पाठ तैयार व रख रखाव	विधि रचनाकार/व.वि. र./वि.र.अ.	उप शासन सचिव (वि.र.सं)	विशिष्ठ शासन सचिव, (वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी				
5.	विधि रचना संगठन संबंधी अन्य मामले	उप शासन सचिव (वि.र.सं)	विशिष्ठ शासन सचिव (वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी					
6.	विधि सहायता एवं लोक अदालत संबंधी कार्यकम तथा राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित मामले	विशिष्ठ शासन सचिव,(वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि					
7.	विधि विभाग के पुस्तकालय में पुस्तकें, पत्रिकाओं. समाचार–पत्र एवं पत्रिकाओं का रख रखाव व अन्य मामले	पुस्तकालाध्यक्ष	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी					
	टिप्पणी:– रूपये 5,000/– से ऊपर के कय भुगतान की स्वीकृती प्रमुख शासन सचिव, विधि के अनुमोदन से जारी की जावेगी।							
8.	विधि एवं विधिक कार्य विभाग में कम्पयूटर प्रणाली लागू करने संबंधी कार्य	उप शासन सचिव विधायी प्रारूपण(प्रथम)	विशिष्ठ शासन सचिव(वि.र.स.) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि				

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

9.	विधायी प्रारूपण एवं प्राथमिक विधान संबंधी प्रारूपों का परीक्षण एवं विधिक्षा	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव विधायी प्रारूपण	विशिष्ठ शासन सचिव (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		
	टिप्पणीः– विधायी प्रारूपण एवं प्राथमिक विधान संबंधी प्रारूपों के परीक्षण का कार्य, प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा उप सचिवगण ,(विधायी प्रारूपण) के बीच विभागवार आवंटित किया जा सकेगा।							
10.	अधीनस्थ विधान संबंधी प्रारूपों की विधिक्षा एवं दस्तावेजों की विधिक्षा एवं परीक्षण	वरिष्ठ विधि अधिकारी/उप विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी, (प्रारूपण)	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, (प्रारूपण)	विशिष्ठ शासन सचिव, (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
11.	विधायी कार्य से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलें	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप–2)	विशिष्ठ शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
12.	राज्य के अध्यादेशों, विधेयकों, अधिनियमों, अधिसूचनाओं आदि का राजपत्र मे प्रकाशन व केन्द्र सरकार के अध्यादेशों , अधिनियमों का पुनः प्रकाशन	विधि रचना अधिकारी	उप शासन सचिव विधायी प्रारूपण (ग्रुप–2)	विशिष्ठ शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)		
	टिप्पणीः– आवश्यकतानुसार विधि मंत्री महोदय से कार्योतर स्वीकृती प्राप्त कर ली जावेगी।							

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

13	केन्द्र सरकार, विधि आयोग, या अन्य समिति की रिपोर्ट का अध्ययन व उन पर टिप्पणी	विशिष्ठ शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
14	विधि एवं विधिक कार्य विभाग से संबंधित विधानसभा, लोक सभा, राज्य सभा के प्रश्न आदि	उप शासन सचिव, (विधि)	विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री			
15	राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान व सेवानिवृत न्यायाधीशों से संबंधित प्रशासनिक मामले 1.अवकाश संबंधी मामले 2. अन्य सभी मामले	संयुक्त शासन सचिव, (विधि) संयुक्त शासन सचिव, (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री मुख्य सचिव	राज्यपाल विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल	
16	राजस्थान विधि (राज्य व अधीनस्थ) सेवा, राजस्थान विधि रचना (राज्य व अधीनस्थ) सेवा के पदों का सृजन, उत्सादन, नियुक्ति, स्थाईकरण, सेवानिवृती सेवामुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन, पेंशन से संबंधित मामलें, वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति व अन्य सेवा	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)				

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legislative Drafter,
Rajasthan, JAIPUR

	संबंधी मामलें							
	टिप्पणी:— क.संख्या 16 में केवल पदों का सृजन, उत्सादन, पदोन्नति, सेवामुक्ति, स्थानान्तरण एवं पद स्थापन के मामले ही विधि मंत्री के समक्ष प्रस्तुत होंगे।							
17.	कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने के मामलें	संयुक्त शासन सचिव, (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)				
	टिप्पणी:— आवश्यकतानुसार विधि मंत्री महोदय से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जावेगी।							
18.	माननीय उच्च न्यायालय/विधि विभाग के अधीनस्थ समस्त बजट मदों का कार्य सम्पादन	सहायक लेखाधिकारी	संयुक्त शासन सचिव, (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि				
19	विधि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण: 1.मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के मामले	संयुक्त शासन सचिव, (विधि)	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
	2. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रबंध व व्यवस्था से संबंधित सभी मामले, जिनमें लिंक अधिकारी घोषित करने एवं अतिरिक्त चार्ज से संबंधित मामले तथा कर्मचारीगण के	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				

Principal Secretary
Law and [illegible] Affairs Department
& [illegible] Remembrancer,
[illegible] JAIPUR

	स्थानान्तरण के प्रकरण भी सम्मिलित है।							
	3. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/प्रशासक वादकरण,/ लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों का सर्जन, उत्सादन, नियुक्ति, स्थाईकरण, सेवामुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन, पेंशन संबंधी मामलें, वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति व अन्य सेवा से संबंधी कार्य।	विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी	शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)			
	4 प्रशासनिक सुधार विभाग एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की अनुकंपात्मक नियुक्ति के प्रकरण	उप शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department,
& L.R., JAIPUR.

	टिप्पणीः– क.संख्या 19 (3) में केवल पदों का सृजन, उत्सादन, पदोन्नति, सेवामुक्ति, के मामले ही विधि मंत्री के समक्ष प्रस्तुत होंगे।							
20	नोटरी पब्लिक की नवीन नियुक्ति संबंधित मामले	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
21	नोटरी पब्लिक की सेवामुक्ति, नवीनीकरण एवं अन्य संबंधित मामले	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
22	न्यायिक अधिकारीगण की विधि एवं विधिक कार्य विभाग या अन्य विभागों में नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रत्यावर्तन व अन्य मामले	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
	टिप्पणीः– विधि एंव विधिक कार्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रत्यावर्तन के मामले प्रमुख शासन सचिव, विधि द्वारा सीधे ही संबंधित अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव को भेजे जाएंगे।							
23	विधि एवं विधिक कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय व सभी प्रकार के अन्य न्यायालयों/अधिकरणों के:–							
	(क) गठन, पुनर्गठन, उत्सादन या अधिकारिता में परिवर्तन के मामले	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री				
	(ख) उच्च न्यायालय,	संयुक्त शासन	प्रमुख शासन सचिव,	विधि मंत्री				

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legislative Department
Rajasthan, JAIPUR

	अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था या प्रबंध संबंधी अन्य मामले।	सचिव, विधि	विधि					
24	(क) राजस्थान न्यायिक सेवा के सभी संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति व सेवामुक्ति के मामले। (ख) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार राजस्थान न्यायिक सेवा के सभी संवर्गों के अधिकारियों के लिंक न्यायालय घोषित करने एवं अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के मामले।	संयुक्त शासन सचिव, विधि संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल	
25	न्यायिक अधिकारियों के अन्य प्रशासनिक मामले जो विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा निपटायें जाते हैं।	संयुक्त शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि					
26	महाधिवक्ता की नियुक्ति	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	राज्यपाल	

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

27	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति, सेवामुक्ति एवं **सेवावृद्धि**	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री		
28	उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय में सहायक, राजकीय अधिवक्ता, स्थाई अधिवक्ता की नियुक्ति, सेवावृद्धि एवं सेवामुक्ति के मामले	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री			
28–क	माननीय उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/लोक अभियोजक/गवर्नमेंट काउन्सिल/स्थायी अधिवक्ता तथा अपर/उप एवं लोक अभियोजक/गवर्नमेंट काउन्सिल के मध्य कार्य विभाजन	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि					
29	उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक, गवर्मेंट	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री			

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

	काउन्सिल तथा अपर/उप एवं लोक अभियोजक/ गवर्मेंट काउन्सिल की नियुक्ति एवं सेवामुक्ति							
30	अधीनस्थ न्यायालय में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं पदेन राजकीय अभिभाषक की सेवावृद्धि व नियुक्ति सेवामुक्ति	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	मुख्य सचिव	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री		
31	किसी विशेष आपराधिक प्रकरण मे विशेष लोक अभियोजक अथवा अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों व शुल्क आदि से संबंधित मामलें:–							
	1. जिन मामलों में अधिवक्ता की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं की जावेगी अथवा 1,00,000/– रूपये तक की कुल फीस वहन की जावेगी।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
	2. 1,00,000/– रूपये से अधिक एव	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

	2,00,000 रूपये/– तक की कुल फीस वहन की जावेगी। 3. 2,00,000 रूपये/– से अधिक फीस के प्रकरण	विधि परामर्शी वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	
32	सिविल प्रकरण, याचिकाओं में विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों एवं शुल्क आदि से सम्बन्धित मामले:– 1. जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 1,00,000/– रूपये तक हो	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी/ वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/ विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि			
	2. जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 1,00,000/– रूपये से अधिक तथा 2,00,000/– रूपये	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी/ वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/ विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
&
JAIPUR

	तक हो।							
	3. जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 2,00,000/– रूपये से अधिक हो।	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी/ वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/ विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	
33	विधि अधिकारिओं के प्रत्येक प्रकरण के शुल्क बिलों के परीक्षण व अदायगी के मामले व महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, राजकीय अधिवक्ता व अन्य विधि अधिकारिओं तथा उच्च नयायालयों द्वारा नियुक्त करवाये गये निजी अधिवक्ताओं के प्रारूप, सुनवाई, अवमानना याचिकाओं आदि के शुल्क बिलों से संबंधित मामले। स्वीकृति से संबंधित मामले							

Principal Secretary
Law and L... Department
& ...
JAIPUR

	1. रूपये 5000/– तक के मामले	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी/ संयुक्त विधि परामर्शी					
	2. रूपये 5000/– से अधिक तथा रूपये 10000/– तक के मामले	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण)				
	3. रूपये 10,000/– से अधिक एवं 20,000/– तक	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण)	विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण			
	4. रूपये 20,000/– से अधिक एवं 51,0,00/– तक	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण)	विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण	शासन सचिव, वादकरण		
	5. रूपये 51,000/– से	कनिष्ठ विधि		वरिष्ठ संयुक्त	विशिष्ठ शासन	शासन सचिव,	प्रमुख शासन सचिव, विधि	

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legislative Affairs,
JAIPUR

	अधिक के मामले	अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्शी		विधि परामर्शी (वादकरण)	सचिव, वादकरण	वादकरण		
	नोटः– आपराधिक प्रकरणों के फीस बिल वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्शी द्वारा सीधे विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण को प्रस्तुत किये जायेंगे।							
34	सिविल न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अपर जिला न्यायालय / जिला न्यायालय,जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय	कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामशी– चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणी अनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)	
35	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रथम अपील, द्वितीय अपील, राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना	कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामशी– चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणी अनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)	
36	श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण, राजस्थान, कराधान अधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,	कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त विधि परामशी– चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि (टिप्पणी अनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)	

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
JAIPUR

	राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिकरण, केन्द्रीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य अधिकरण द्वारा पारित निर्णय का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना							
37	मध्यस्थ के समक्ष अधिवक्ता की नियुक्ति 1..जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 1,00,000/– रूपये तक हो	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामशी– चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
	2. जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 1,00,000/– रूपये से अधिक तथा 2,00,000/– रूपये तक हो।	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामशी–चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	
	3.जिन मामलों में अधिवक्ता की कुल फीस 2,00,000/– रूपये से अधिक हो।	कनिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	संयुक्त विधि परामशी–चतुर्थ	विशिष्ठ शासन सचिव, (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

38	उच्च न्यायालय में विशेष अपील करने या नहीं करने, उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने या नहीं करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग से पत्रावली प्राप्त होने पर (टिप्पणी 2 के अनुसार)	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी–वादकरण	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री (टिप्पणी अनुसार)		
	टिप्पणी– 1. जिन प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग व शासन सचिव, विधि में असहमति हो तो वे ही प्रकरण प्रमुख शासन सचिव, विधि को भेजे जायेंगे। 2. प्रशासनिक विभाग एवं विधि परामर्शी / प्रमुख शासन सचिव की राय में भिन्नता होने की स्थिति में ही प्रकरण विधि मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा।							
39	(1) न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानतीय व असंज्ञेय अपराध में पारित दोषमुक्ति के निर्णय के मामले का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लेना।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव, विधि	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि		
	टिप्पणी:– 1. ऐसे मामले जिनमें अपील का विनिश्चय किया गया है वे शासन सचिव, विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगें। 2. केवल वे प्रकरण जिनमें नो अपील का विनिश्चय किया जाता है प्रमुख शासन सचिव, विधि के स्तर पर निपटा दिये जायेंगे। 3. ऐसे मामले जिनमें परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि के स्तर पर निस्तारित कर दिये जायेंगे।							

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

	(2) सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायाधीश एवं अन्य समकक्ष फौजदारी न्यायालयों द्वारा हत्या (आपराधिक मानव वध को छोडकर), धारा 304(बी) भा.द.सं एवं बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों में पारित आदेशों व निर्णयो का परिक्षण कर निर्णय लेना	वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	संयक्त विधि परामर्शी (विशिष्ट प्रकोष्ठ)/ वरिष्ठ संयक्त विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव, विधि	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव विधि	मान. विधि मंत्री महोदय (टिप्पणी अनुसार)	
	टिप्पणीः– 1. उक्त मामलों में अपील किए जाने का विनिश्चय शासन सचिव, विधि तथा अपील नहीं किये जाने का विनिश्चय मान. विधि मंत्री महोदय के स्तर पर लिया जायेगा। 2. संयक्त विधि परामर्शी (विशिष्ट प्रकोष्ठ) का पद रिक्त होने पर पत्रावलियां वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी को प्रस्तुत की जायेगी। 3. ऐसे मामले जिनमें परिवादी/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पंर दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया है, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि के स्तर पर निस्तारित कर दिये जायेंगे।							
	3. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं एनडीपीएस अधिनियम से सम्बंधित मामले	वरिष्ठ विधि अधिकारी/ सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी /संयुक्त विधि परामर्शी (विशिष्ट प्रकोष्ठ)	विशिष्ट शासन सचिव, विधि	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव विधि	मान. विधि मंत्री महोदय (टिप्पणी अनुसार)	

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Government, JAIPUR

	टिप्पणीः– 1. उक्त प्रकरणों में अपील दायर करने का निर्णय प्रमुख शासन विधि तथा नो अपील का विनिश्चय माननीय विधि मंत्री महोदय के स्तर पर लिया जायेगा। 2. वे मामले जिनमें प्रमुख शासन सचिव विधि एवं माननीय विधि मंत्री महोदय के विचारों में भिन्नता होगी, उनमें अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर होगा।							
	4. (क) दोषमुक्ति के ऐसे अन्य सेशन मामले, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। (ख) ऐसे सेशन मामले जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है तथा जिनमें परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति की गई है।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव, विधि	शासन सचिव, विधि			
	टिप्पणीः– 1. जिन मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उन मामलों में शासन सचिव, विधि के स्तर पर अपील/नो अपील का विनिश्चय लिया जायेगा। 2. जिन मामलों में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है तथा जिनमें दोषमुक्ति परिवादी/आहत/पीडिता के पक्षद्रोही होने के आधार पर की गई है, उन मामलों में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर पर अपील/नो अपील का विनिश्चय लिया जायेगा। 3 समस्त प्रकृति के ऐसे फौजदारी प्रकरण जिनमें दोषसिद्वी व दण्डादेश बाबत समुचित आदेश पारित हुआ है, वे वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के स्तर पर ही निस्तारित कर दिये जायेंगे। 4. ऐसे प्रकरण जो राजीनामे/अधियुक्त की मृत्यु/मफरूरी अथवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में निस्तारित किये जाते है, उनमें विधि विभाग के स्तर पर							

Principal Secretary
Law and L... Affairs Department
...Remembrancer,
..., JAIPUR

	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण पत्रावली वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/प्रशासनिक विभाग को लौटाई जा सकेगी।							
	(3) उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अनुमति याचिका दायर करने या नहीं के मामलें							
	(क) हत्या (आपराधिक मानव वध को छोड़कर) एवं बलात्कार के मामलें जिनमें POCSO व धारा 304 (बी) भा.द.स. एवं एन.डी.पी.एस. के मामलें सम्मिलित हैं।	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)		
	टिप्पणी:– 1. ऐसे मामले जिनमें अपील का विनिश्चय किया गया है वे प्रमुख शासन सचिव विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेगें । 2 ऐसे मामले जिनमें परिवादी / आहत / पीड़ित के पक्षद्रोही होने के आधार पर दोषमुक्ति के कारण नो अपील का निर्णय किया गया है वे सभी प्रकरण भी प्रमुख शासन सचिव, विधि के स्तर पर ही निपटा दिये जायेंगे। यदि शासन सचिव, विधि तथा प्रमुख शासन सचिव, विधि में मत भिन्नता है तो वे प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे। 1. टिप्पणी क्रम (2) के अलावा शेष सभी प्रकरण जिनमें नो अपील का विनिश्चय किया जाना है, विधि मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।							
	ख) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से मामले	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री (टिप्पणीनुसार)	
	टिप्पणी:– भ्रष्टाचार संबंधी सभी प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु माननीय विधि मंत्री जी को प्रस्तुत होगें किन्तु वे मामले जिनमें प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं माननीय विधि मंत्री महोदय के विचारों में भिन्नता होगी, उनमें अन्तिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर होगा।							
	(ग) अन्य मामले	वरिष्ठ विधि अधिकारी/सहायक विधि परामर्शी	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि (टिप्पणीनुसार)	प्रमुख शासन सचिव विधि (टिप्पणीनुसार)	विधि मंत्री (टिप्पणीनुसार)		

Secretary
Law and

	टिप्पणी:– (1) वे मामलें जिनमें शासन सचिव, विधि व प्रमुख शासन सचिव, विधि की राय में भिन्नता है, विधि मंत्री महोदय को प्रेषित किये जायेंगे। (2) वे मामलें जिनमें शासन सचिव, विधि तक अपील करने की राय एक समान रहती है, ऐसे मामलें शासन सचिव विधि के पर ही निपटा दिये जायेंगे के स्तर पर पत्रावलियां अग्रेषित नहीं की जायेगीं। परन्तु विशिष्ट शासन सचिव वादकरण व शासन सचिव विधि की राय में भिन्नता होने की स्थिति में पत्रावली प्रमुख शासन सचिव, विधि के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। (3) समस्त प्रकृति के ऐसे फौजदारी प्रकरण जिनमें दोषसिद्धि व दण्डादेश बाबत समुचित आदेश पारित हुआ है, वे विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण के स्तर पर ही निस्तारित कर दिये जायेंगे।							
40	(1) राजस्थान विधि (राज्य व अधीनस्थ) सेवा एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य व अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत नियुक्त अराजपत्रित कर्मचारी के धारा 19 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 व धारा 196, 197 एवं 199 दण्ड प्रक्रिया। संहिता आदि के अभियोजन स्वीकृति से। संबंधित	सहायक शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री		मुख्यमंत्री	
	(2) निदेशक, वादकरण कार्यालय के अधीन कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी व लोक सेवक की परिभाषा में आने वाले राजकीय कर्मचारी से	कार्यालय अधीक्षक, निदेशक (वादकरण)	विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि	विधि मंत्री	मुख्यमंत्री	

Principal Secretary
Law and Legislative Affairs Department
JAIPUR

	भिन्न अन्य व्यक्तियों धारा 19 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 व धारा 196,197 एवं 199 दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि के अभियोजन रवीकृति से संबंधित मामले। (3) शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप की विधिक्षा से संबंधित मामलें।	वरिष्ठ विधि अधिकारी (प्र–4)	सहायक विधि परामशी (प्र–4)	विशिष्ट शासंन सचिव (वादकरण)	शासन सचिव, विधि			
41	राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध अदालतों की अवमानना के नामलों में राजकीय अधिवक्ता / स्टैंडिंग काउंसिल / गवर्नमेण्ट काउंसिल / पैनल लॉयर की नियुक्ति।	कनिष्ठ विधि अधिकारी / वरिष्ठ विधि अधिकारी / सहायक विधि परामर्शी	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी /संयुक्त विधि परामर्शी	शासन सचिव, विधि	प्रमुख शासन सचिव, विधि			

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR

टिप्पणीः–

1. किसी भी मामलें, जिनमें निर्णय का स्तर भले ही विधि मंत्री स्तर का निर्धारित किया हुआ नहीं है, में पत्रावली विधि मंत्री द्वारा अवलोकन के लिए मंगवायी जा सकेगी और उस पर यथोचित आदेश पारित किये जा सकेंगे।

2. याचिकाओं से संबंधित मामलें जिनमें मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है एवं उनके पद नाम से उच्च न्यायालय / उच्चत्तम न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये है वे सभी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (एल) द्वारा प्राप्त जायेंगे एवं याचिका शाखा के सभी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी (एल) के मार्फत प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. याचिका /विशेष अनुमति याचिका / याचिका जवाब/दावा/जवाब दावा/काउन्टर एफिडेविट का प्रारूप की विधिक्षा संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही की जायेगी।

4. उप शासन सचिव विधि द्वितीय को प्रमुख शासन सचिव अपनी सुविधानुसार कार्य आवंटित कर सकेंगे।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण / उप मंत्रीगण।
9. ~~समस्त अधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य एवं विधायी प्रारूपण विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय।~~
10. समस्त अनुभागाधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य एवं विधायी प्रारूपण विभाग एवं विधि परामर्शी कार्यालय ।
11. राजकीय अधिवक्ता कार्यालय, जयपुर एवं जोधपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

9/2/24

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

Principal Secretary
Law and Legal Affairs Department
& Legal Remembrancer,
Rajasthan, JAIPUR